

FROM No. -III  
फर्द अहकाम

(विधम-28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा मुकाम तस्वारियाँ

अज अदालत  
शिवनगर

बनाम मेवा पिता छोगा भाली  
निवासी- शिवनगर

क्रमांक सुकदम-प्रार्थना पत्र उपखण्ड अदालत-128 रातेरेवे एक्ट प्रकरण संख्या-257/2018

तारीख हुख

हुख या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो हुख  
पुस्त की तारीख  
में जारी हु

01.06.2018

प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी मुतदाविदा प्रार्थी के खातेदारी की आराजीयात है। विपक्षीय उक्त आराजीयात के पडौसी है। जिनको भूमि सीमा की जानकारी नहीं होने से वह अने दिन जमीन की कमी बेशी को लेकर विवाद करते रहते हैं। इसलिये प्रार्थी अपने खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहता है। अन्त में कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

हमने वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 मौजा शिवनगर पटवार हल्का भागेडा तहसील हुख की आराजी नं 363 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है। तदनुसार प्रार्थी उक्त भूमि के पत्थरगढी कराने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

-आदेश-

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया मौजा शिवनगर पटवार हल्का भागेडा तहसील हुख की आराजी नं 363 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा भूमि के पडौसियान को सूचित कराया जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक- भागेडा को 1,000/-रुपये (अक्षर- एक हजार रू0 मात्र) फीस पर कमिश्नर निपुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी बाबत सूचित करेगें तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार हुख को भिजवाई जावे। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 01.06.2018 को खुली अदालत में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
एवं पतेन सहायक कलेक्टर  
गुलाबपुरा केन्द्र

